कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, भोपाल संभाग, भोपाल

Harshvardhan Complex, Mata Mandir, Chouraha, Bhopal (MP) [illegible]
Email : [illegible]
Website : www.[illegible].gov.in

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./रोड निर्माण/26/04

भोपाल, दिनांक 2[illegible].01.2026

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका रायसेन
जिला - रायसेन

विषयः- वार्ड क्रं. 08 में गंजबाजार मुर्गा मार्केट से श्री अमान सिंह से श्री किशोर पंथी तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।

संदर्भः- E-Notification No ES-0280-26-0000000001 Project No PW1-EN2-0280-26-1103

--//--

विषयान्तर्गत, ई-नोटिफिकेशन के द्वारा वार्ड क्रं. 08 में गंजबाजार मुर्गा मार्केट से श्री अमान सिंह से श्री किशोर पंथी तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के प्रेषित प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। निविदा लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य किया जावे। सी.सी. रोड निर्माण कार्य की क्रस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराकर तद्नुसार कार्य कराया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परीक्षण उपरान्त MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि
1	वार्ड क्रं. 08 में गंजबाजार मुर्गा मार्केट से श्री अमान सिंह से श्री किशोर पंथी तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दि:08.11.2025 से प्रभावशील	6,04,638.00
			जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	1,08,835.00
			कुल योग	7,13,473.00

शर्ते

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. डामरीकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकांटे की रसीद ली जावे अथवा सड़क के लेवल लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिकृत रिफायनरी के डामर के मूल बिल, रसीद अनिवार्य रूप से लिये जावे।
3. सी.सी.रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिज़ाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
4. डब्ल्यू.बी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का कलेक्शन इंद्राज माप पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पालिटेक्निक कालेज या अन्य शासकीय संस्था से कराना सुनिश्चित करें।
5. तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कालोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
6. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य स्वंय के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तांतरण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रुप से सम्पन्न कार्यो का ही भुगतान किया जावे।
8. भूमि विवाद की स्थिती में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती की जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
9. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरुप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
10. निर्माण कार्य के दौरान पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
11. समस्त प्रकार के रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी डक्ट का प्रावधान अनिवार्य रुप से किया जावे।
12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाईज्ड/पार्ट्समेन्ट्री कार्यो के लिए नही। तथ्यों को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रू. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यो के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
14. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारित होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारुप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नही होगा।
15. निःशक्त जनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावे।
16. नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के नियमानुसार आवश्यक प्लान अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।
17. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
18. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
19. उपरोक्त शर्तो की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
20. निर्माण के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्यो में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कांक्रीट आदि का शासकीय प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जावे। साथ-साथ इस संबंध में समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालय से दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे एवं परीक्षण रिपोर्ट के संतुष्टीपूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर ही चल देयकों का भुगतान किया जावे। कार्य के चल देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की गई समस्त सामग्रियों एवं कांक्रीट की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।
21. (MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासनीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
22. (MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
23. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी। कांक्रीट एम-20/30/40 कांक्रीट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कांक्रीट हार्ड होने के पहले रोड की सतह को विनिर्देशानुसार [illegible] क्यूरिंग की जावे।
24. तापमान 38 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक होने की स्थिति में सीमेन्ट कांक्रीट का कार्य नहीं कराया जावे।

क्रमशः......2

र्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, भोपाल संभाग, भोपाल

Harshvardhan Complex, Mata Mandir, Chouraha, Bhopal (MP)- 462003
Email :- eebhopal@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

25. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
26. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
27. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
28. कार्य टुकड़ों में विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
29. सी.सी. रोड की मिक्स एवं क्रस्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराई जाकर तद्‌नुसार निर्माण कार्य स्थल पर कराया जावे एवं यदि क्रस्ट डिजाईन एवं मिक्स डिजाईन से कार्य की लागत में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई लागत की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
30. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एवं अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात प्रस्तावित कार्य कराया जावे। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
31. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
32. सी.सी. रोड निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudnal Joints का प्रावधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाकर Dowel एवं Tie Bar Reinforcement दिया जावे।
33. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन [illegible] अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
34. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
35. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying,compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level,thickness,surface regularity,texture finish,strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work.)deductions in rates for the above is as per UADD ISSR 02.08.2021.

24/5/26

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल संभाग, भोपाल

Estimation Number: ES-0280-25-0000000001	Work: CONST OF CC ROAD AT WARD NO 08 GANJ BAZAR MURGA MARKET AND AMAAN SINGH HOUSE TO KISHORE PANTHI HOUSE
	Demand ID: DM-0280-26-0000000002
ULB: 0280 (Raisen Nagar Palika)	PAC: 604638.0
Department: Public Works	Gross: 713472.84
Project No.: PW1-EN2-0280-26-1103	

1	NVI-2.3	Roadwork in Soil		1.0	60.0	6.0	0.3	108.0			108.0	M3	122.0	13,176.00	18.0	15,547.68	
1	NVI-4.1.1.1	Grading I		1.0	60.0	6.0	0.1	36.0			36.0	M3	1059.0	35,124.00	18.0	41,396.32	
1	DNIV-4.6.1.1	Deduction for item No. 4.1 to 4.3 and 4.6 if vibratory roller/ motor grader is not used. If static roller is used in place of vibratory rol		1.0	60.0	6.0	0.1	36.0			36.0	M3	-61.0	-2,196.00	18.0	-2,591.28	
1	DNIV-4.5.1.1			1.0	60.0	6.0	0.1	36.0			36.0	M3	-61.0	-2,196.00	18.0	-2,591.28	MOTOR GRADER IS NOT USED
1	NVI-6.1	Dry Lean Cement Concrete Sub- Base		1.0	60.0	6.0	0.1	36.0			36.0	M3	3210.0	115,560.00	18.0	136,360.80	
1	NIV-6.1.1	Deduct from Item No 6.1 above if paver with electronic sensor/ mechanical pa		1.0	60.0	6.0	0.1	36.0			36.0	M3	-161.0	-5,796.00	18.0	-6,839.28	
1	NVI-6.2.1	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	60.0	6.0	0.15	54.0			54.0	M3	5916.0	319,464.00	18.0	376,967.52	
1	NVI-6.2.1			1.0	45.0	3.0	0.15	20.25			20.25	M3	5916.0	119,799.00	18.0	141,362.82	
1	NVI-6.2.3	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	60.0	6.0	0.2	72.0			72.0	M3	-301.0	-21,672.00	18.0	-25,572.96	
1	NVI-6.2.3			1.0	45.0	3.0	0.2	27.0			27.0	M3	-301.0	-8,127.00	18.0	-9,589.86	
1	NVI-17.2.1	Size 300 mm dia. meter		2.0	6.0						12.0	RM	1917.0	23,004.00	18.0	27,144.72	
1	NVI-8.18	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Retro-Reflectorizing Glass Beads		2.0	60.0	0.1			6.0		12.0	M2	438.0	5,256.00	18.0	6,202.08	
1	NVI-8.18			2.0	45.0	0.1			4.5		9.0	M2	438.0	3,942.00	18.0	4,651.56	
1	NVI-8.19	Road Markers/ Road Studs with Lense Reflector	20.0								20.0	EA	315.0	6,300.00	18.0	7,434.00	

1	pw1-280-26-00002	604,638.00
	Total PAC	604638.0

GST: 108834.84

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0280-26-0000000003	**Work:** CONST OF CC ROAD AT WARD NO 01 PIPELKHEDA GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL TO MAKSUD BHAI HOUSE TO ABID BHAI HOUSE TO SERAJ HOUSE FROM PIPALKHEDA
ULB: 0280 (Raisen Nagar Palika)	**Demand ID:** DM-0280-26-0000000003
Department: Public Works	**PAC:** 1956571.0
Project No.: PW1-EN2-0280-26-2040	**Gross:** 2308753.78

Sub Engineer E-sign

CMO E-sign

AE E-sign

SE Superintendent E-sign

Signature Not Verified
Signed by: Mr Sanjay Tiwari
Reason: Project Approval
Location: 0280
Date: 2026-04-23 13:07:03

Sub Engineer Division E-sign

Signature Not Verified
Signed by: Mr Sudhir Garg
Reason: Project Approval
Location: 0280
Date: 2026-04-23 13:23:07

AE Division E-sign

EE E-sign

Estimation Number: ES-0280-26-0000000001	Work: CONST OF CC ROAD AT WARD NO 08 GANJ BAZAR, MURGA MARKET AND AMAAN SINGH HOUSE TO KISHORE PANTHI HOUSE
	Demand ID: DM-0280-26-0000000002
ULB: 0280 (Raisen Nagar Palika)	PAC: 604638.0
Department: Public Works	Gross: 713472.84
Project No.: PW1-EN2-0280-26-1103	

Sub Engineer E-sign

CMO E-sign

AE E-sign

SE Superintendent E-sign

Signature Not Verified
Signed by: Mr. Sanjay [illegible]
Reason: Project Approval
Location: 0280
Date: 20[illegible]-04-22 11:30:00

Sub Engineer Division E-sign

Signature Not Verified
Signed by: Mr. Sudhir Garg
Reason: Project Approval
Location: 0280
Date: 20[illegible]-04-22 11:33:56

AE Division E-sign

22/4/26

EE E-sign

Signature Not Verified
Digitally signed by ASHUTOSH SINGH
Date: 2026.05.06 18:01:16 IST
Location: Madhya Pradesh-MP